न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0 3639/2025

बसंतपुर थाना कांड सं0–691/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–74, 75, 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

बेबी देवी व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः– श्री मनोज कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

06.03.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. बेबी देवी 2. अनुष्का सिंह 3. मुन्ना सिंह की ओर से बसंतपुर थाना कांड संख्या 691/2025, अंतर्गत धारा–74, 75, 77, 78, 79 बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका अनिता सिंह के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 07.12.2025 को समय रात्रि करीब 09:00 बजे सूचिका के शरीर के हिस्से का प्राईवेट पार्ट का निर्वस्त्र वीडियो वायरल, फेसबुक, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम पर उसके गांव के ही रौशन सिंह, दीपक सिंह, अनुष्का सिंह, मुन्ना सिंह, बेबी देवी, सभी एकराय होकर धोखाधड़ी से सूचिका के स्नानगार में जाने पर धोखा कर उसे समाज में पूर्ण रूप से बदनाम करने के नियत से उसके जीवन में व्यक्तिगत रूप से दखल देकर उसका सामाजिक छवि को बिगाड़ने के लिए सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक एवं आर्थिक शोषण के साथ–साथ सूचिका के साथ रेप अथवा गलत संबंध बनाने हेतु उसके ही गांव के पड़ोसी रौशन सिंह दिनांक 07.12.2025 को समय रात्रि नौ बजे अपने मोबाइल नं0 9631182127 से एवं दीपक सिंह अपने मोबाइल से फेसबुक, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम पर उसका निर्वस्त्र वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। आरोपी रौशन के मोबाइल से इंस्टाग्राम पर उसका वीडियो सबसे पहले सात दिसंबर को वायरल किया। उसके बाद दिनांक 10.12.2025 एवं 11.12.2025 को व्हाट्सएप से कॉल करके उसे दो लाख दस हजार रूपया वीडियो नहीं चलाने के नाम पर मांग किया तथा नहीं देने पर रौशन सिंह और दीपक सिंह द्वारा उसके मोबाइल पर कॉल करके बर्बाद करने कि धमकी दी गई साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया अन्यथा बुरा अंजाम, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया कि सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें पूर्व के

लगातार
06.03.2026

जमीनी विवाद के कारण गलत नियत से झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुआ है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को केवल शक के आधार पर फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत निवेदन का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका का वीडियो वायरल कर दो लाख दस हजार रूपया मांगने एवं नहीं देने पर बर्बाद करने की धमकी देने का अभियोग है। अतः जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, बसंतपुर थाना कांड सं0 614/2025, अंतर्गत धारा 74, 75, 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता, काराधीन आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका का वीडियो वायरल कर दो लाख दस हजार रूपया मांगने एवं नहीं देने पर बर्बाद करने की धमकी देने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 02 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पेन ड्राईव को पुलिस के द्वारा जप्त किया गया है। अनुसंधान के क्रम में अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 4,5,6,9 में वर्णित)। कांड दैनिकी की कंडिका 27 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त मुन्ना सिंह के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक वाद भी दर्ज है। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. बेबी देवी 2. अनुष्का सिंह 3. मुन्ना सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. बेबी देवी 2. अनुष्का सिंह 3. मुन्ना सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।